

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा  
डिक्री

दिनांक :- 02/04/2026

वादी की ओर से श्री धन्नाराम सुथार अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से श्री कुलदीप बिश्नोई अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्राल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा एवं सहमती के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार घोषणा की जाती है:-

(1) वादी को प्राप्त भूमि:- चक 11 एम.ओ.डी. के खाता संख्या 53/42 के प.नं. 56/264 (19) के किला नं. 14, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17, 25/1/0.228, 25/2/0.025 कुल रकबा 1.012 हैक्. नहरी मय गै.मु.खाला खातेदारी कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष खाता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगा।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की

सहायक कलक्टर एव  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

किस्म यथा नहरी/वारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 02/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



( उमा मित्राल आर ए एम )  
सहायक न्यायाधीश एवं  
उपखण्ड अधिवक्ता पिलीबंगा  
पिलीबंगा